निगरानी प्रकरण कमांक ....
प्रस्तुति दिनांक : 16.01.2018

मानननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इंदौर

गोविंद पिता गणेशप्रसाद गुप्ता
उम्र 59 वर्ष धंधा व्यापार
निवासी पानसेमल जिला बडवानी म.प्र. .... याचिकाकर्ता

वि रू द्ध

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :–

याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 208/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 09–01–2018 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भूरा/18/0523 जिला **बडवानी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की गई है, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा क्या विधिक त्रुटि की गई है, आवेदक अपने पुनरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं कर सका है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	